July 2012
S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

June 14
Day-166-200
Thursday

सामूहिक सुरक्षा Collective Security

"सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कहने में जितना सरल है, कार्यान्वित करने में उतना ही कठिन है।"

- सेसिल वीन क्रैब

अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने का एक साधन सामूहिक सुरक्षा है जिसमें विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से संगठित होकर सम्भावित आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लाड (Claude) के मतानुसार, 'केन्द्रीयकरण की दृष्टि से सामूहिक सुरक्षा बीच की अवस्था है। इसमें शक्ति संतुलन से अधिक केन्द्रीयकृत प्रबंध्य होता है, किन्तु विश्व सरकार की मान्यता से यह कम रहता है। इस व्यवस्था को शांतिपूर्ण एवं शांतिवर्द्धक माना जाता है।'

सामूहिक सुरक्षा का अर्थ Meaning of Collective Security

सामूहिक सुरक्षा शब्द से प्रकट होता है कि सामूहिक सुरक्षा किसी राष्ट्र द्वारा सुरक्षा के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्नों से संबंधित होती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने सुरक्षा प्रयत्नों में सचेत रहता है, किन्तु यदि उस पर संकट आता है अथवा आक्रमण किया जाता है तो सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में सम्मिलित सभी राष्ट्र उसकी रक्षा के लिए सामूहिक रूप से संगठित हो जाते हैं। जॉन स्वाल्न बर्गर ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथवा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए किए जाने के संयुक्त कार्यों का यंत्र कहा है। साम्राज्यवाद तथा युद्धप्रिय राष्ट्र विश्व शांति को चुनौती देते रहते हैं। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का लक्ष्य है कि इन चुनौतियों का सक्षम मुकाबला सामूहिक रूप से किया जाए। मॉर्गेन्थो के अनुसार सामूहिक सुरक्षा की कार्यकारी व्यवस्था में सुरक्षा की समस्या किसी अकेले राष्ट्र की मान्यता नहीं

Scanned with CamScanner

वरन् उन सभी राष्ट्रों की समस्या होती है जो इस व्यवस्था के अंतर्गत आपस में प्रतिबद्ध होते हैं। 'एक सबके लिए और सब एक के लिए' (One for all, all for one) यह सामूहिक सुरक्षा का नारा है। कुछ अंशों में यह शक्ति संतुलन का विस्तृत रूप कहा जा सकता है, लेकिन दोनों में निश्चित रूप से आधारभूत अंतर है। युद्ध को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करने के प्रभावी साधन के रूप में सामूहिक सुरक्षा का अपना अलग महत्व है।

सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत : सैद्धान्तिक मान्यताएँ

THE CONCEPT OF COLLECTIVE SECURITY : THEORETICAL ASSUMPTIONS

युद्ध को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करने के प्रभावी साधन के रूप में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कुछ सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित है।

मॉर्गेन्थो (Morgenthau) के अनुसार यदि सामूहिक सुरक्षा को युद्ध रोकने के माध्यम के रूप में कार्य करना है तो तीन धारणाएँ अवश्य पूरी होनी चाहिए -

i) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक अवसर पर इतनी अधिक शक्ति संचय करने की स्थिति में होनी चाहिए ताकि आक्रामक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों को आक्रमण करने का साहस न हो।

ii) उन राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी धारणाएँ, मान्यताएँ व नीतियाँ समान होनी चाहिए, जिन्हें सामूहिक रूप से आक्रमण का मुकाबला करना हो।

iii) ऐसे सभी राष्ट्रों को अपने परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों को सामूहिक कार्यवाही के हितों के लिए बलिदान करने को तत्पर रहना चाहिए।

Scanned with CamScanner

July 2012
S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ए० एफ० के ऑर्गेन्सकी (A.F.K. Organski) के सामूहिक सुरक्षा की आदर्श व्यवस्था की 5 मान्यताएँ हैं :-

i) सशस्त्र भिड़न्त में सभी राष्ट्र यह मानेंगे कि कौन सा राज्य आक्रमक है तथा यह कि शीघ्रता से की जाने वाली सामूहिक क्रिया आक्रामक के विरुद्ध आवश्यक है।

ii) सभी राष्ट्र समान रूप से यह चाहते है कि युद्ध रुक जाए, चाहे जिस भी स्त्रोत से यह आया है।

iii) सभी राष्ट्र समान रूप से स्वतंत्र है तथा आक्रामक के विरुद्ध प्रक्रिया में सम्मिलित होने में सक्षम भी है।

iv) सारे विश्व के राष्ट्रों की शक्ति को इकट्ठा करके, सभी की सामूहिक शक्ति को आक्रमण के विरुद्ध लगा देना चाहिए।

v) शक्ति - आधिपत्य को आक्रमण के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार रखना चाहिए।

उपर्युक्त विश्लेषण से सामूहिक सुरक्षा की कतिपय मान्यताएँ निम्न हैं :-

1. शक्ति - सम्पन्नता - सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त शक्ति संपन्न हो, ताकि वह आक्रमणकारी राज्य का मुकाबला कर सके। यह व्यवस्था प्रत्येक अवसर पर शक्ति संचय करने की ऐसी स्थिति में हो कि आक्रामक राष्ट्र आक्रमण करने का दुस्साहस न करे।

2. सुरक्षा की मान्यता - सामूहिक रूप से आक्रमण का मुकाबला करने को सहमत राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी मान्यताओं और नीतियों में यथासंभव समानता हो।

3. परस्पर विरोधी हितों की बलि - ऐसे सभी राष्ट्र अपने परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों (Conflicting Political Interests) को सामूहिक सुरक्षात्मक कार्यवाही के हितार्थ बलिदान करने को तत्पर रहें।

4. यथास्थिति - संबंधित राष्ट्र यथास्थिति रखना अपने राष्ट्रीय हित में समझे।

सामूहिक सुरक्षा का आदर्श स्वरूप (Ideal Nature of Collective Security) डॉ० नायडू ने इसके 7 तत्व बताए हैं :-

1. सैनिक शक्ति के मनमाने प्रयोग का निषेध (Prohibition of Arbitrary Use of Military Force) - राज्यों द्वारा सैनिक शक्ति का निरंकुश और आत्मपरक प्रयोग किन्ही भी परिस्थितियों में अवांछनीय है।

2. सुरक्षा की सामूहिक गारण्टी (Collective Guarantee of Security) - सुरक्षा की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 'एक सब के लिए और सब एक के लिए' के सिद्धांत पर आधारित हो सकती है और होनी चाहिए।

3. निरोध और अनुशस्ति के रूप में सामूहिक सुरक्षा (Collective Force Detterence and Sanction) - सभी राज्यों की और अन्तर्राष्ट्रीय सेना किसी भी सम्भावित आक्रमणकारी का निरोध करेगी। यदि किसी आक्रमणकारी का निरोध न किया जा सके तो सामूहिक सेना एक अनुशस्ति के रूप में क्रियाशील होगी जो आक्रमण को रोक देगी, समाप्त कर देगी।

4. सामूहिक कार्यवाही का स्वचालित होना (Automation of Collective Action) - कोई भी आक्रमण होने पर सामूहिक कार्यवाही की मशीनरी स्वचालित हो जाएगी। यह कार्यवाही तेजी से और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए।

5. आक्रान्ता और आक्रान्त की अनामकता (Anony of the Aggressor and Victim) — सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह बिना किसी पक्षपात के आक्रान्ता की निन्दा करे और आक्रान्त की सहायता।

6. अपराध का निर्धारण (Assignability of Guilty) - सामूहिक सुरक्षा ऐसी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए जिसमें आक्रमण की परिभाषा दी गयी हो, आक्रान्ता को पहचानने की प्रक्रिया दी गयी हो और उन संस्थाओं का उल्लेख हो जो इन प्रक्रियाओं को तेजी और निष्पक्षता के साथ परिभाषित और लागू कर सके।

Scanned with CamScanner

July 2012
S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

June 19
Day-171-195
Tuesday

५. व्यवस्था का स्थायित्व और सामान्य स्वरूप (Permanency and Generality of the System) - सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी नींव पर टिकी होनी चाहिए, सामान्य प्रयोग और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी सुलभ होनी चाहिए।

* सामूहिक सुरक्षा के विचार का विकास Development of the Idea of Collective Security

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के जनक एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है। इस विचार का आरंभ 17 वी शताब्दी की ओरनेब्रुक की संधि से माना जाता है। इस संधि की 17 वी धारा में किसी सम्भावित शत्रु के विरुद्ध सामूहिक कदम की बात कही गई थी। 19 वी शताब्दी में विलियम पेन तथा विलियम पिट ने यूरोप में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए सामूहिक सुरक्षा जैसी व्यवस्था का विचार प्रचारित किया। विलियम पिट ने यूरोपीय महाशक्तियों को सुझाव दिया कि वे भविष्य में शांति एवं व्यवस्था को समाप्त करने वाले किसी आक्रमण का सामूहिक रूप से विरोध करने की एक प्रभावी योजना बनाये।

सामूहिक सुरक्षा पद्धति का वास्तविक रूप 20 वी शताब्दी में प्रकट हुआ। 1910 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्ट ने कहा कि 'शांतिप्रिय महाशक्तियाँ एवं शांति संघ का निर्माण करे ताकि न केवल उनके बीच शांति स्थापित रहे वरन किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा यदि शांति भंग की कार्यवाही हो तो समुचित शक्ति द्वारा उसे रोका जा सके।' 1910 मे एक अन्य विचारक वान ब्युलेनहोवन ने ऐसी एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सुझाव दिया था जिसका अमेरिकी कांग्रेस द्वारा समर्थन किया गया। सामूहिक

Scanned with CamScanner

सुरक्षा ~~परिबद्ध~~ व्यवस्था के अभियान को विशेष लोकप्रिय बनाने में प्रथम विश्वयुद्ध काल में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने शांति स्थापना के लिए 'सामूहिक - व्यवस्था' की जबरदस्त वकालत की और उन्ही के प्रयत्नों से पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप से राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ सामूहिक सुरक्षा को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया।

दुर्भाग्यवश, राष्ट्रसंघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था विभिन्न कारणोवश असफल सिद्ध हुई। सामूहिक सुरक्षा का विचार द्वितीय विश्वयुद्ध काल में और अधिक सजीव हो गया तथा नवीन विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अध्याय 7 तथा महासभा के 'शांति के लिए एकता' प्रस्ताव द्वारा सामूहिक सुरक्षा पद्धति का विकास किया गया तो राष्ट्रसंघ की तुलना में श्रेष्ठतर व्यवस्था है।

सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन (Collective Security and Balance Of Power)

सामूहिक सुरक्षा को शक्ति संतुलन का विकल्प माना जाता है। वुडरो विल्सन के अनुसार शक्ति संतुलन में राष्ट्र प्रतियोगितापूर्ण संधियों में आबद्ध हो जाता है तथा बाध्यकारी राष्ट्र का प्रयोग राजनीतिक महत्वकांक्षाओं तथा स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्रों के सहयोग का अर्थ होता है, सभी की न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था, करना जिसमे बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग सामान्य शक्ति की स्थापना के लिए किया जाता है। क्लाड (Claude) ने लिखा है, "विल्सन से लेकर आज तक सामूहिक सुरक्षा के सभी पक्षधर

इसे शक्ति संतुलन के विभिन्न रूपों में परिभाषित करते रहे हैं।"

शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में अंतर (Difference Between Balance of Power and Collective Security)

1. संधि की दृष्टि से - सामूहिक सुरक्षा एक सार्वभौम संधि है, जो प्रतियोगी संधियों से भिन्न है, जिनको शक्ति संतुलन की विशेषता माना जाता है। कार्डेल हल (Cordell Hall) ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के बारे में लिखा है कि यह कुछ संगठित राष्ट्र के विरुद्ध संधि नहीं है वरन् प्रत्येक आक्रमणकारी के विरुद्ध है। यह संधि युद्ध के लिए नहीं वरन् शान्ति के लिए है।

2. मान्यता की दृष्टि से - शक्ति संतुलन की मान्यता दो या दो से अधिक विरोधी गुटों की कल्पना पर आधारित है जो परस्पर संघर्षशील प्रकृति के हैं; किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता 'एक विश्व' (One World) है जो सहयोग के आधार पर व्यवस्था का निर्माण करने के लिए संगठित होती है।

3. संघर्ष एवं सहयोग की दृष्टि में - दोनों मान्यताएँ संघर्ष एवं सहयोग को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के मूल तत्व मानती हैं तथा संघर्ष का मुकाबला करने के लिए सहयोग की सिफारिश करती हैं, किन्तु शक्ति संतुलन, व्यवस्था के निर्माण के लिए संघर्षपूर्ण सहयोग चाहता है जबकि सामूहिक सुरक्षा संघर्ष को प्रतिबंधित रखने के लिए सहयोग पर बल देती है।

4. गुटबंदी की दृष्टि से - शक्ति संतुलन सीमित गुटबंदी द्वारा आक्रमणकारी का विरोध करता है तथा यह मानता है कि संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सर्वकालीन प्रकृति है। सामूहिक सुरक्षा सामान्य सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए तैयार करती है तथा यह मानती है कि आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर केवल अपवाद है, नियम नहीं।

5. आधार की दृष्टि से - सामूहिक सुरक्षा का यह आधार है

Scanned with CamScanner

है कि किसी राष्ट्र द्वारा किसी राष्ट्र पर कभी भी किया गया आक्रमण विश्व - शांति के लिए खतरा है, और इसका विरोध करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को कटिबद्ध रहना चाहिए, किन्तु शक्ति - संतुलन की मान्यता इससे भिन्न है। इसमें एक राष्ट्र पर आक्रमण होने के समय दूसरी सहयोगी इकाइयाँ उसका मुकाबला करने में तभी साथ देंगी। जब वह उनके हितों से मेल रखता हो। एक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उस आक्रमण से प्रभावित नहीं होता तो वह युद्ध में भाग लेने से विमुख हो सकता है।

6. सलाहकारी दृष्टि से - संतुलन व्यवस्था व्यवहारवादी है तथा प्रत्येक को आक्रमण का विरोध करने की सलाह देती है जब आक्रमण उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए घातक हो, किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता से कुछ अधिक प्रभावशाली सैद्धान्तिक पुट है क्योंकि यह राज्य को सदैव आक्रमण का विरोध करने को प्रेरित करता है, क्योंकि उसका हित आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

7. व्यवस्था की दृष्टि से - शक्ति संतुलन व्यवस्था बहुत अस्त - व्यस्त होती है। यह अनेक स्वायत्त एवं स्वनिर्देशित राज्यों से मिलकर बनती है, जिसमें बड़े राज्य थोड़े होते हैं, किन्तु सामूहिक सुरक्षा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को संगठनात्मक रूप देने की कोशिश की जाती है।

सामूहिक सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन के बीच वही अंतर है, जो कि कला और प्रकृति के बीच होता है। राइट के अनुसार, सामूहिक सुरक्षा का अभ्यास कला की भाँति ज्ञान, साधना एवं प्रयास चाहता है ~~क्योंकि~~ जबकि शक्तियों का असंतुलित हो जाना और उन्हें मर्यादित करने के लिए संतुलन के ढाँचे को बनाते रहना अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय

के सदस्य राज्यों की प्रकृति है। यहाँ उनके अस्तित्व का प्रश्न खतरे में आता है, अतः वे एक स्वाभाविक आचरण करते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा एक स्थायी दीर्घ जीवन की कामना है।

शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के बीच समानताएँ
Similarities Between Balance of Power And Collective Security

1. योजना के आधार की दृष्टि से - यह कहा जाता है कि शक्ति संतुलन की योजना का आधार दूसरे पक्ष की आक्रमणकारी सामर्थ्य (Aggressive Capacity) है जबकि सामूहिक सुरक्षा आक्रामक नीति पर अधिक ध्यान देती है। यह आंशिक सत्य है क्योंकि शक्ति संतुलन में दूसरे पक्ष की केवल आक्रमणकारी ~~सामर्थ्य~~ सामर्थ्य पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, वरन् आक्रामक नीति को भी देखा जाता है।
2. सिद्धांत की दृष्टि से - दोनों मान्यताएँ प्रतिरोध के सिद्धांत की भूमि पर आरूढ़ है। शक्ति संतुलन में स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाया जाता है कि विरोधी मुँह न उठा सके, सामूहिक सुरक्षा में शक्ति का एकीकरण पर आक्रमणकारी की महत्वाकांक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
3. वास्तविकता की दृष्टि से - शक्ति संतुलन का आधार तुलमारिता तथा सुरक्षा का आधार प्रबलता माना जाता है, किन्तु यथार्थ में तुलमारिता का रूप निश्चित नहीं है। शक्ति संतुलन की व्यवस्था में कोई पक्ष किसी राष्ट्र से यह नहीं कहता कि दूसरा पक्ष कमजोर है, अतः संतुलन के स्थापनार्थ वह उस पक्ष के साथ मिल जाए। दोनों मान्यताओं के बीच वास्तविक अंतर बहुत कम है। Sunday -24
4. विश्वास की दृष्टि से - दोनों व्यवस्थाएँ 'शांति के लिए युद्ध' में विश्वास रखती है तथा कहती है कि शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि लड़ने की इच्छा पैदा करने की सामर्थ्य का विकास किया जाए।

Scanned with CamScanner

25 June
Day-177-189
Monday

June 2012
S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

5. सहयोग की दृष्टि से - दोनों व्यवस्थाएँ राज्यों के सामूहिक सहयोग में विश्वास करते हैं। इसमें आक्रमणकारी अथवा शांति को चुनौती देने वाला राष्ट्र स्पष्ट नहीं होता।

6. परिस्थितियों की दृष्टि से - दोनों अवधारणाओं की समानता उन आधारभूत परिस्थितियों के आधार पर बताई जा सकती है, जो दोनों व्यवस्थाओं के सफल व्यवहार के लिए आवश्यक है। जैसे - दुनिया का दो गुटों में बँट जाना दोनों ही मान्यताओं के सफल संचालन के लिए घातक माना जाता था। दोनों में लचीली नीति अपनाई जाती थी, ताकि आवश्यकतानुसार पुराने शत्रु बनाने का मार्ग अवरुद्ध न हो जाए।

सामूहिक सुरक्षा और गुट - निरपेक्षता में संबंध Relations Between Collective Security and Non Alignment

गुट निरपेक्षता या असंलग्नता का अभिप्राय उस नीति से है जिसमें कोई देश किसी भी सैनिक गुटबंदी में सम्मिलित नहीं होता है परंतु गुट निरपेक्ष राष्ट्र स्वयं एक स्वतंत्र समूह बना लेते हैं। वर्तमान में यह निर्गुट आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस उद्देश्य है: राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ - साथ अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने वाली नीतियों का निर्माण एवं उनका अनुसरण करना। इस प्रकार गुट निरपेक्षता एक प्रकार से सामूहिक सुरक्षा के लिए वातावरण तैयार करती है। गुट निरपेक्षता का आरंभ ही इसलिए हुआ है कि आक्रमणकारी शक्तियों का साम्राज्यवादी या अन्य प्रकार की गुट शक्तियों का विरोध करना, जो शांति के लिए खतरा है। सैनिक संधियों के शांति प्राप्त करने वाले तरीके का विरोध कर सके। परंतु दोनों में भी अंतर है - गुट निरपेक्षता में से यदि किसी एक राष्ट्र पर

Scanned with CamScanner

July 2012
S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

June 26
Day-178-188
Tuesday

आक्रमण होता है तो वे आक्रमणकारी के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही नहीं करते हैं जबकि सामूहिक सुरक्षा में किसी देश पर आक्रमण की स्थिति में उसके विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही की जा सकती है।

सामूहिक सुरक्षा एवं क्षेत्रीय संधियाँ Collective Security and Regional Pacts - संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में, संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य के बारे में कहा गया है कि "अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना तथा इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्नों द्वारा शांति के संकटों को रोकना और समाप्त करना तथा आक्रमण को एवं शांति-भंग की अन्य चेष्टाओं को दबाना" एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य है। इस चार्टर के अनुसार ऐसे प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की जा सकती है। इस चार्टर के अनुसार ऐसे प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की जा सकती है जिनके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना की जा सकती और जो चार्टर में सम्मिलित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का विरोध न करते हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रादेशिक संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होंगे, परन्तु जो प्रादेशिक संगठन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् स्थापित किये गये हैं उनमें पारस्परिक तनाव बढ़ा है। इसीलिए इनके आधार पर सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ तथा लोकप्रियता का रूप प्रदान नहीं किया जा सकता है। इनका आधार गुटबन्दियाँ हैं जो सामूहिक सुरक्षा के पूर्णतया विपरीत है। NATO, SEATO, Baghdad Pact इसी प्रकार की संधियों का उदाहरण है। इससे संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा सामूहिक सुरक्षा की आशा करना व्यर्थ है।

Scanned with CamScanner

27 June
Day-179-187
Wednesday

June 2012

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

सामूहिक सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण Collective Security and Disarmament

युद्ध की समस्या से निपटने के लिए दो मार्ग - सामूहिक सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण उपयोगी माने जाते है। इन दोनों को पृथक् माना जाता रहा है परंतु बेन्जामिन कोहन के इन दोनों में संबंध बताते हुए कहा है कि, "मैं इस तथ्य पर जोर डालना चाहूँगा कि सामूहिक सुरक्षा के कार्यक्रम तथा निःशस्त्रीकरण में घनिष्ठ संबंध है, दोनों प्रकृतिवश साथ-साथ रहते है। निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में हम उस दिन की तलाश में है जब किसी राष्ट्र के पास शस्त्रधारी सेना अथवा ऐसे हथियार नहीं होंगे जो उसके पड़ोसी के लिए भय का कारण बन सके। सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में हम उस दिन की प्रतीक्षा में है जबकि राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए निजी सेनाओं पर इतने निर्भर नहीं होंगे जितने संयुक्त राष्ट्र पर। यदि राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए निजी सेनाओं पर इतना निर्भर नहीं होंगे जितने संयुक्त राष्ट्र पर। यदि राष्ट्र को यह विश्वास दिलाया जा सके कि आक्रमण होने पर वे अकेले नहीं होंगे तो उन्हें प्रतिरक्षा के लिए कम हथियारों की आवश्यकता होगी, जैसे-जैसे निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रगति की जाती है, वैसे-वैसे सामूहिक सुरक्षा की स्थापना का कार्य सफल हो जाता है। दोनों साथ-साथ चलते रहते है - निःशस्त्रीकरण और सामूहिक सुरक्षा शांति के लिए दो महान साहस है।

सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रसंघ (Collective Security and League of Nations)

राष्ट्रसंघ को सामूहिक सुरक्षा का प्रथम संस्थागत रूप कहा जाता है। राष्ट्रसंघ के निर्माताओं की धारणा थी कि वे विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना होगी। इस समय यह विचार

Scanned with CamScanner

प्रबल था कि संधियों का जाल, गुप्त संधियाँ, शक्ति संतुलन को समाप्त करके सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। राष्ट्रसंघ के संविधान की धारा 10 से 16 तक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गयी। धारा 16 के अनुसार सभी राज्यों को सामूहिक सुरक्षा के लिए कार्य करने को वचनबद्ध किया गया और इसके उपायों का उल्लेख किया गया है। धारा 10 के अनुसार सभी राज्यों को दूसरे राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता का पालन करना था।

राष्ट्रसंघ के अधीन सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्न सफल न हो सके। अनेक शक्तिशाली देश इसके सदस्य ही न बने और जो सदस्य बने भी वे अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए चिंतित थे न कि सामूहिक सुरक्षा के लिए।

पामर और पर्किन्स के शब्दों में, "सदस्यों द्वारा इसकी एकपक्षीय व्याख्याएँ की गयी तथा सिर्फ बातें करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया गया। धारा 16 की आत्मा का ही हनन कर दिया गया। जब बड़े राष्ट्रों ने आक्रमणों की श्रृंखला आरंभ की तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था लागू न की जा सकी। जापान का मंचूरिया पर आक्रमण (1931-32), इटली का इथोपिया पर आक्रमण (1935-36) और जर्मनी का निकट राष्ट्रों पर आक्रमण बिना राष्ट्रसंघ के प्रतिरोध के सह लिए गए। राष्ट्रसंघ असफल हो गया और सामूहिक सुरक्षा की सार्थकता समाप्त हो गयी। सामूहिक सुरक्षा के लिए तटस्थता का त्याग आवश्यक था लेकिन बड़े राष्ट्र ऐसा न कर सके।" राष्ट्रसंघ की समाप्ति पर कार्ल हैम्ब्रो ने ठीक कहा है, "हम जानते हैं कि इसमें नैतिक साहस की कमी है, हम जानते हैं कि जहाँ महानता की आवश्यकता थी वहाँ हमने महान निर्णय के उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करने में संकोच किया और हम जानते हैं कि इतिहास के निर्णय से हम बच नहीं सकते" राष्ट्रसंघ की सामूहिक व्यवस्था असफल हो गयी तथा संसार को दूसरे विश्वयुद्ध का परिणाम भुगतना पड़ा।"

Scanned with CamScanner

सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्रसंघ (Collective Security and the UNO)

सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्रसंघ (Collective Security and the UNO) - राष्ट्रसंघ की भाँति संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और यह पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि शांति स्थापना के लिए, जब जैसी आवश्यकता हो तब सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए अपनी सशस्त्र सेनाएँ, सहायता और अन्य सुविधाएँ जिनमें मार्ग-अधिकार शामिल होंगे, सुरक्षा परिषद को जुटाएँगे। यह प्रावधान है कि सदस्य सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय वायु सेना को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएँगे ताकि संयुक्त राष्ट्रसंघ तुरंत कार्यवाही कर सके। यद्यपि शांति स्थापित रखना सुरक्षा परिषद का प्रथम दायित्व है तथापि 'शांति के लिए एकता' के प्रस्ताव द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कभी शांति के लिए संकट पैदा हो जाए तथा शांति भंग हो अथवा आक्रमण हो जाए और सुरक्षा परिषद पारस्परिक मतभेदों के कारण इस दिशा में अपने कर्त्तव्य का पालन न कर सके तो महासभा अपना संकटकालीन अधिवेशन बुलाकर तुरंत मामला अपने हाथ में ले सकती है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव देती है।

Evaluation of Collective Security System - सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन

सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था चाहे वह किसी भी रूप तथा आकार में हो, तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती, जब तक कि उसे क्रियान्वित करने

के लिए पर्याप्त शक्ति उपलब्ध न हो। शक्ति के बिना किसी दमनकारी आक्रमण को कुचला नहीं जा सकता। सामूहिक सुरक्षा की बाध्यकारी शक्ति के रूप में सैद्धांतिक दृष्टि से तीन विकल्प हो सकते हैं :-

1. सहयोग का वचन - सदस्य राज्यों द्वारा सहयोग का वचन दिया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सैनिक शक्तियों के प्रयोग करने के वायदा लिया जा सकता है।

2. राज्य की सेना का एक भाग अंतर्राष्ट्रीय संस्था को - राज्य अपनी सेना के कुछ भाग अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के पास छोड़ देंगे ताकि वह सामूहिक सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर काम में ले सके।

3. अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्वयं की सेना - अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अपनी स्वयं की सेना का अलग से निर्माण तथा वह सेना सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करे। राष्ट्रसंघ द्वारा प्रथम विकल्प को अपनाए। राष्ट्रसंघ में इस विकल्प को अपनाया जाए इस संबंध में बहुत समय तक भारी वाद-विवाद रहा, अन्त में कुछ राष्ट्रों की पूरी सहमति न रहते हुए भी द्वितीय विकल्प को अपना लिया गया। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को आज की परिस्थितियों में निम्नांकित कारणों से अव्यावहारिक, असंभव तथा निष्फल माना जाता है -

1. सैनिक कर्मचारी - आक्रमणकारी जब आक्रमण करता है तो वह पूरी तैयारी और सोच-विचार के साथ करता है और जिस राष्ट्र पर आक्रमण किया जाता है उसकी प्रतिक्रिया तत्काल होती है, किन्तु सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की इकाइयों को पूरी तरह यह पता नहीं रहता कि कहाँ, किसके विरुद्ध, कब, किसके साथ मिलकर सैनिक कार्यवाही करनी चाहिए और इसी कारण तत्कालीन सामूहिक युद्ध कठिन हो जाता है। फलतः सामूहिक सुरक्षा समुदाय की सैनिक शक्ति उसके किसी भाग से सदैव कम होगी।

Sunday -01

Scanned with CamScanner

02 July
Day-184-182
Monday

July 2012
S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2. सैनिक तकनीक - 1945 के बाद सैनिक तकनीक में भारी परिवर्तन आया है। वैज्ञानिक विकास के कारण आज के युद्ध ऐसे बन चुके हैं कि आक्रमणकारी के विरुद्ध कदम उठाने के लिए सामूहिक सुरक्षा - व्यवस्था को विचार करने का प्रबंध करे तब तक आक्रमणकारी उस राष्ट्र को नष्ट कर देगा। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र यह जानता है कि वह अपने जीवन और मरण का प्रश्न सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं छोड़ सकता, इसका उसे स्वयं ही प्रबंध करना होगा। भारत की सामूहिक सुरक्षा का प्रयास जो भारत - रूसी मित्रता संधि के रूप में एक सशक्त कदम था, रूस के विखण्डित होते ही टूट गया और अब भारत को भी नई - नई संधियों और समझौतों के माध्यम से सुरक्षाचक्र को मजबूत करना पड़ रहा है।

3. गुट व्यवस्था - द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व का दो गुटों में बँट जाना सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के विपरीत सिद्ध हुआ। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यह मानती है कि उसके प्रतिबंधों का प्रभाव प्रत्येक राष्ट्र पर पड़ेगा और कोई राष्ट्र आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकेगा, किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ व अमेरिका की नई शक्ति का जिस रूप में उदय हुआ, उस पर सामूहिक सुरक्षा के प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त दो गुटों की व्यवस्था में यह एक बाधा होती है कि आक्रमणकारी राज्य किसी एक गुट के सदस्य या नेता होते हैं और इस कारण इस गुट के ~~पूरे~~ दूसरे सदस्य राज्य सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं होने देते। अब सोवियत व्यवस्था के टूट जाने पर भी 'नाम' के सदस्य राष्ट्र अपनी सामूहिकता को इस आधार पर आवश्यक और उपयोगी

Scanned with CamScanner

सेतला रहे, जिससे कि अमेरिका एक नई विश्व-व्यवस्था उन पर न थोप सके।

4- आक्रमण संबंधी घोषणा – सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि आक्रमणकारी तथा आक्रमणकर्ता की घोषणा स्पष्ट की जाये। भारत- पाक संघर्ष के समय भारत द्वारा बराबर यह माँग की जाती रही कि वह पाकिस्तान को आक्रमक घोषित करे, किन्तु ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वह घोषणा जितनी सरल दिखती थी, उतनी नहीं थी, इससे अनेक राष्ट्रों के हित टकराते थे। आक्रमण की परिभाषा एवं अर्थ अनेक लगाए जाते हैं। पहले तो यही पता लगाया जाए कि आमुक कार्यवाही आक्रमण है या नहीं, यदि है तो आक्रमणकारी कौन है?।

5- परिस्थितियाँ – सामूहिक सुरक्षा की सफलता की विषयगत परिस्थितियाँ बढ़ने की अपेक्षा धीरे- धीरे ~~घटते~~ घटते जा रही हैं, जिस समय इस सिद्धांत को अपनाया जा सकता था, उस समय राजनीतिज्ञों का ध्यान इसकी तरफ नहीं था। जब इसे कार्यान्वित करना चाहते हैं तो बाह्य परिस्थितियाँ ऐसा नहीं करने देती। विषयगत आवश्यकताओं को देखकर ऐसा लगता है कि यह सिद्धांत अपरिपक्व है क्योंकि राजनीतिज्ञ और जनता इसकी पूर्व ~~आवश्यक~~- आवश्यकताओं से परिचित नहीं होते। आज के युग में ऐसे समुदायों का विकास हो गया है जो अपने - अपने राष्ट्रीय हित के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और इसी कारण उनमें भिन्नता है। क्लाड (Claude) का मत है कि 'सक्रिय सामूहिक व्यवस्था की सम्पूर्ण आवश्यकताओं ~~को~~ के पूर्ण होने से अभी बहुत दूर है और यह संदिग्ध है कि इस दिशा में कुछ अर्थपूर्ण विकास हो सकेगा।

6- नीति की व्यवहारिकता – जिस व्यक्ति के हाथों में

Scanned with CamScanner

04 July
Day-186-180
Wednesday

July 2012

S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31											

विदेश नीति के संचालन का भार रहता है, वह सदैव व्यवहारिक नीति को अपनाएगा तथा प्रत्येक मामले को गौर से परखने के बाद कोई निर्णय लेगा। वह केवल सिद्धांतों के पीछे नहीं दौड़ेगा। कोई राजनीतिज्ञ यह पसंद नहीं करेगा कि वह सामूहिक सुरक्षा जैसे किसी सिद्धांत की जंजीरों में अपने हाथों को जकड़ कर कुछ करने के लिए अपने आपको विवश कर ले। इस प्रकार आज लोग यह विश्वास नहीं करते कि सामूहिक सुरक्षा के साधन द्वारा विश्व व्यवस्था या राष्ट्रीय हित प्राप्त किया जा सकता है।

युद्ध का विश्वव्यापी रूप - सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था युद्ध को सीमित या स्थानीय नहीं रहने देती तथा प्रत्येक युद्ध को विश्वव्यापी स्तर तक उठा देती है। मॉर्गेन्थो एवं क्लाड का निष्कर्ष है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था शक्ति की दृष्टि अव्यवार्य नहीं है, वरन् यह नीति की दृष्टि से अव्यवार्य है।

Scanned with CamScanner